न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–411/2013

राम कुमारी देवी..............................वादनी

बनाम

राम प्रताप राय वगैरह..प्रतिवादीगण

03.03.25 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश दिनांक–27.08.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–29.01.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसारित है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी को अपने वाद के समर्थन में आवश्यक साक्षियों का साक्ष्य कराना वो दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित कराना आवश्यक है, परन्तु वादी का साक्ष्य दिनांक–27.08.2024 को न्यायालय आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया। अतः आदेश दिनांक–27.08.2024 को अगर वापस नहीं लिया जाता है, चूँकि वादी ाक्षी विशेश्वर राय का मुख्य परीक्षण दाखिल हुआ और उनका प्रतिपरीक्षण पूर्ण नहीं हुआ और वे प्रतिवादीगण के मेल में चले गए एवं प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस कारण दिनांक–27.08.2024 को वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया, जिसे वापस लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अगर उपरोक्त आदेश को वापस लिया जाता है तो वादी हर तिथि को वाद में उचित पैरवी करने हेतु तत्पर रहेंगे। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.08.2024 को वापस लेते हुए वादी को साक्ष्य देने का मौका दिए जाने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में दिनांक–27.08.2024 को वादी साक्ष्य बन्द किया गया तत्पश्चात् वर्तमान वाद एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया। अतः वादी को पुनः दूसरा साक्षी–सूचि दाखिल करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना वाद के त्वरित निष्पादन में विलंब को प्रदर्शित करेगा, परन्त, चूँकि वर्तमान वाद एकपक्षीय अग्रसारित है और इसलिए वादी को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि आवेदन स्वीकृत करने से विलंब करित होगा। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 1000/– रुपये खर्च नजारत, शाहपुर पटोरी में जमा करने के शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–27.08.2024 को वापस लेते हुए अभिलेा पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली केवल चार तिथियों को अविलंब अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 26-05-2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।